न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख 21.09.2021

प्रकरण संख्या :– 41/2021

अनवान

गोपाललाल पिता मोहनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ....प्रार्थी

बनाम

1. मन्नालाल पिता गौरीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भंवरलाल पिता गौरीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. नाथुलाल पिता घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. पन्नालाल पिता घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक : 3/12/2021

प्रार्थना पत्र गोपाललाल पिता मोहनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक **श्री घनश्यामलाल धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा माजी साहब का खेड़ा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 29 पर अंकित आराजी संख्या 58/2 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, आराजी संख्या 59/2 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, आराजी संख्या 64 रकबा 0.2590 हैक्टेयर, आराजी संख्या 67 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, आराजी संख्या 76/1 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 0.9308 हैक्टेयर** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

अतः प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में शिविर स्थान .... में पत्रावली पेश हुई हमनें पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा माजी साहब का खेड़ा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 29 पर अंकित आराजी संख्या 58/2 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, आराजी संख्या 59/2 रकबा 0. 2752 हैक्टेयर, आराजी संख्या 64 रकबा 0.2590 हैक्टेयर, आराजी संख्या 67 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, आराजी संख्या 76/1 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 0.9308 हैक्टेयर** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें। भू–अभिलेख निरीक्षक **उमाजी का खेड़ा** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी मौके पर अदा करेंगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन (सीमांकित) अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया (भीलवाड़ा)
बिजौलिया

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलियां**

गोपाल बनाम मन्नालाल

किस्म मुकदमा – 111-128 नम्बर 41 /2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/9 /2021	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। पेरोकार हाजिर। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 12/10 /2021 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
03/12/2021	पत्रावली बन्द बस्ते से आज प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 में शिविर स्थान उमाजी का खेड़ा में पेश हुई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 स्वीकार किया जाता है, निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। प्रभारी अधिकारी प्रशासन गाँवो संग अभियान-2021 (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)	